भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2073
सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

महाराष्ट्र में बेरोजगारी

2073. डॉ॰ जयसिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र के शोलापुर में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई बड़ी परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से घ): जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में महाराष्ट्र सहित रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से महाराष्ट्र में उपलब्ध सीमा तक सृजित रोजगार नीचे दिया गया हैं:

योजनाएं/वर्ष	2019-20
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (31-10-2019 को) [संख्या में]	**16992**
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (04-11-2019 को) [संख्या में]	**3.81**
डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित अभ्यर्थी (31-10-2019 को) [संख्या में]	**5750**
डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजन (18-06-2019 को) [संख्या में]	**20482**

स्रोतः संबंधित मंत्रालय

इसके अलावा, सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

*****